

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:एफ.28(37)परावि/प्रशा.2/सहा.वि.अ. कठूमर/अनुपस्थिति/2022-13871/

जयपुर,दिनांक:

:: आदेश ::

विभागीय आदेश कमांक (RajKaj Ref No.) 4585742 दिनांक 24.08.2023 द्वारा श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर को गिरफ्तारी दिनांक 05.09.2022 से निलम्बित माने जाने के आदेश प्रसारित कर मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया था।

श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर, हाल मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर को निलम्बन अवधि के दौरान (निलम्बित माने जाने की दिनांक 05.09.2022 से ही) राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के प्रावधानुसार अवकाश वेतन की राशि के समान, जिसे वह कर्मचारी यदि अर्द्ध-वेतन पर रहता तो प्राप्त करता तथा अवकाश वेतन पर देय महंगाई भत्ता इत्यादि का भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रिखा सामरिया)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर को पालनार्थ।
4. श्री अमर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर, हाल मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-द्वितीय

Signature valid

RajKaj Ref
4916442



Digitally signed by Riya Samaria
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2023.10.17:12:36 IST
Reason: Approved